न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 190/2023 तारीख रजू:— 04.10.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1.	महाराजसिंह	पिसरान करण जाति गुर्जर,
2.	रामेश्वर	निवासी आलावाडा,
3.	विजयराम	तहसील हिण्डौनसिटी
4.	नबाव	जिला करौली, राजस्थान —————— सायलान

बनाम

1.	भीमराज पुत्र तुलसीराम		जाति गुर्जर निवासी
2.	वचन	पिसरान	निवासी आलावाडा,
3.	सूबे	भीमराज	तहसील हिण्डौनसिटी
4.	रामभान		जिला करौली, राजस्थान।

5. तहसीदार लैण्ड होल्डर तहसील हिण्डौन जिला करौली —————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर

उपस्थित :—1. अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. पी. एल. गोयल एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिंनाक :—06.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा 439 रकवा 20 ऐयर, 440 रकवा 16 ऐयर, 441 रकवा 27 ऐयर, 442 रकवा 43 ऐयर, 461 रकवा 17 ऐयर, 462 रकवा 15 ऐयर, 463 रकवा 12 ऐयर, 464 रकवा 17 ऐयर, 641 रकवा 23 ऐयर, 642 रकवा 03 ऐयर, 652 रकवा 03 ऐयर, 653 रकवा 08 ऐयर, 654 रकवा 13 ऐयर, 655 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

04 ऐयर, 656 रकवा 05 ऐयर, 663 रकवा 16 ऐयर, 664 रकवा 33 ऐयर, 665 रकवा 14 ऐयर, 672 रकवा 45 ऐयर, 677 रकवा 31 ऐयर, 679 रकवा 04 ऐयर, 680 रकवा 16 ऐयर, 343 रकवा 10 ऐयर, 344 रकवा 10 ऐयर, 643 रकवा 10 ऐयर, 651 रकवा 10 ऐयर, 666 रकवा 21 ऐयर, 671 रकवा 18 ऐयर, कुल किता 28 कुल रकवा 4.64 हैक्टेयर, स्थित ग्राम आलावाडा, तहसील हिण्डौन में सायलान 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जबकि गैरसायलान का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात का सायलान एवं अन्य सहखातेदारान् के मध्य बाहामी बटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 671 रकवा 18 ऐयर स्थित ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन, सायलान के हिस्से एवं कब्जेकाश्त में चली आ रही है जिससे अन्य सहखातेदारान् को कभी कोई गुरेज नहीं रहा है। और ना ही आज है। लेकिन उक्त खसरा नम्बर 671 रकवा 18 ऐयर पर गैरसायलान डण्डे के बल पर जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं, इसलिये प्रार्थनापत्र दायर करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 27.10.2022 को सायलान अपने हिस्से की आराजीयात में सरसों की फसल की बुबाई कर रहे थे तो गैरसायलान हाथो में लाठी, डण्डा, लेकर उक्त आराजीयात पर आ धमके और आते ही सायलान से कहने लगे हम तुम्हें इस जमीन पर काश्त नहीं करने देंगें, तो सायलान ने कहा कि भाईयो यह जमीन तो हमारी है और हम इस जमीन में 50 सो साल से बजमाने बुजुर्गान काश्त करते चले आ रहे है, तथा उक्त जमीन हमें हमारे पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है, जिसे हम साल–दर–साल, फसल–दर–फसल काश्त करते चले आ रहे है। तो गैरसायलान एकदम से नाराज हो गये और सायलान को स्पष्ट धमकी कि अब हम इस जमीन पर जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य करेंगें। और तुम्हें डण्डे के बल पर बेदखल करके रहेंगें सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, तथा गैरसायलान अपनी हठधर्मिता पर आमादा है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त आराजी को काश्त कर पाना संभव नहीं है, इसलिये उक्त जमीन पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह प्रार्थनापत्र बाबत रिसीवर पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के निर्णय में अभी काफी समय लगने की संभावना है और दावे के निर्णय तक गैरसायलान वादग्रस्त सम्पत्ति को अन्य लोगों को बेचान कर मौके पर काश्त में व्यवधान डालने की धमकी दे रहे है सायल की सम्पत्ति वेस्ट डेमेज एवं अलीनेट की स्थिति बनी हुई है। रिकार्ड व मौके की स्थिति को बदलने का प्रयास गैरसायलान द्वारा किया जा रहा है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आराजी में सायल प्रार्थनापत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित हिस्से के सायलान कानूनन खातेदार टीनेन्ट हैं। गैरसायलान के उक्त कृत्य से सायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भूमि मुतदाविया को रिसीवर के कब्जे में लेने के अलावा सायलान व माननीय न्यायालय के पास अन्य कोई वैकल्पिक उपचार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि न्यायहित में वाद के निर्णय तक वादग्रस्त सम्पत्ति की मौके व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने हेतु तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी, तहसील हिण्डौन को रिसीवर नियुक्त फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा वादग्रस्त सम्पत्ति आराजी खसरा 439, रकवा 20 ऐयर, 440 रकवा 16 ऐयर, 441 रकवा 27 ऐयर, 442 रकवा 43 ऐयर, 461 रकवा 17 ऐयर, 462 रकवा 15 ऐयर, 463 रकवा 12 ऐयर, 464 रकवा 17 ऐयर, 641 रकवा 23 ऐयर, 642 रकवा 03 ऐयर, 652 रकवा 03 ऐयर, 653 रकवा 08 ऐयर, 654 रकवा 13 ऐयर, 655 रकवा 04 ऐयर, 656 रकवा 05 ऐयर, 663 रकवा 16 ऐयर, 664 रकवा 33 ऐयर, 665 रकवा 14 ऐयर, 672 रकवा 45 ऐयर, 677 रकवा 31 ऐयर, 679 रकवा 04 ऐयर, 680 रकवा 16 ऐयर, 343 रकवा 10 ऐयर, 344 रकवा 10 ऐयर, 643 रकवा 10 ऐयर, 651 रकवा 10 ऐयर, 666 रकवा 21 ऐयर, 671 रकवा 18 ऐयर, कुल किता 28 कुल रकवा 4.64 हैक्टेयर, स्थित ग्राम आलावाडा, तहसील हिण्डौन की सुरक्षा हेतु तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी, तहसील हिण्डौन को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 ता 4 की ओर से श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में दर्ज सायलान द्वारा गैरसालान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में पेश करना सही है, लेकिन उक्त दावा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का है. उसमें सायलान को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में दर्ज खसरा नम्बर 439, 440, 441, 442, 461, 462, 463, 464, 641, 642, 652, 653, 654, 655, 656, 663, 664, 665, 672, 677, 679, 680 कुल किता 22 कुल रकवा 3.85 है० तथा खसरा नम्बर 343, 344, 643, 651, 666, 671 कुल किता 06 कुल रकवा 0.79 है० स्थित ग्राम आलावाडा, तहसील हिण्डौन में सायलान 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार होना सही है तथा उक्त आराजीयात में खसरा नम्बर 671 को छोड़कर गैरसायल नम्बर 01 की पत्नी तथा 02 ता 04 की मां केशादेवी उर्फ केशपती पत्नी भीमराज जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है और वह गैरसायलान के साथ उपरोक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर काबिज व दखील होकर उनके सहयोग से काश्त करती चली आ रही है, ऐसी स्थिति में सायलान का यह कथन कि गैरसायलान का उक्त आराजीयात से कोई सम्बंध या वास्ता नहीं है. बिल्कुल गलत दर्ज किया है तथा खसरा नम्बर 671 में न्यायालय से स्थगन आदेश पारित होने के कारण उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से के खातेदार स्वरूप पुत्र मोहरसिंह ने अपने 1/4 हिस्से को भी गैरसायलान को बेचान कर रखा है. इस प्रकार गैरसायलान उपरोक्त आराजीयात के सम्पूर्ण 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सायलान ने जानबूझ कर केशा पत्नी भीमराज को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण प्रकरण में नोन जोइन्डर ऑफ नैसेसरीज पार्टीज का नुक्स आरिज होने से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 गलत है व अस्वीकार है। उक्त आराजीयात का सायलान व अन्य खातेदारान के मध्य कोई वहामी बंटवारा नहीं हो रखा है और ना ही ऐसे किसी वहामी बंटवारा से खसरा नम्बर 671 रकवा 18 ऐयर स्थित ग्राम आलावाडा, तहसील हिण्डौन सायलान के कब्जेकाश्त में है, बल्कि उक्त खसरा नम्बर से सायलान का कोई वास्ता नहीं है. सायलान ने यह कहीं नहीं बताया कि कौनसे खसरा नम्बर तथाकथित वहामी बंटवारे में किस खातेदार के हिस्से में आए और उनका कितना रकवा आया, ऐसी सूरत में सायलान की सम्पूर्ण थ्यौरी मनगढन्त है, कानूनन सायलान के द्वारा उक्त दावा केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया गया है, जो कि कानूनन पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मंद नम्बर 04 गलत है व अस्वीकार है। दिनांक 27.10.2022 को सायलान अपने तथाकथित किसी हिस्से की कोई सरसों की फसल की बुवाई नहीं कर रहे थे, ना ही गैरसायलान कोई हाथों में लाठी–डण्डा लेकर पहुंचे और ना ही उक्त मद में वर्णित कोई धमकी दी और ना ही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान ने उक्त मद में वर्णित कोई कथन कहे और ना ही गैरसायलान ने जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करने व पक्का निर्माण करने की धमकी दी। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि पर गैरसायलान काबिज व दखील है, सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है. प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 गलत है व अस्वीकार है। सायलान द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र व दावा में गैरसायल नम्बर 01 ता 04 का विवादग्रस्त आराजी से जब कोई सम्बंध व वास्ता नहीं बताया है तो ऐसी सूरत में गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को अन्य लोगों को विक्रय करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही भूमि को वैस्ट डेमेज व एलीनेट की स्थिति पैदा होती है तथा गैरसायलान विवादित आराजीयात में मुताबिक रिकॉर्ड जब खातेदार हैं ही नहीं तो ऐसी स्थिति में भूमि के वैस्ट डेमेट व एलीनेट का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात में कई सारे सहखातेदार हैं, जिन्हें सायलान द्वारा प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है. ऐसी सूरत में भूमि के अन्य सहखातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाने से कानूनन सहखातेदारों के भूमि के सम्बंध में खातेदारी अधिकारों के हक हकूको से रिसीवर के माध्यम से वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें कब्जे से बेदखल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कानूनन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 06 गलत है व अस्वीकार है। सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 07 गलत है व अस्वीकार है। सायलान का कोई प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन साबित नहीं है, प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 08 गलत है व अस्वीकार है। कानूनन विवादित आराजीयात के संबंध में कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र नोन जोइन्डर ऑफ नैसेसरी पार्टीज के नुक्स आरिज होने व रिसीवर के माध्यम से किसी सहखातेदार को कानूनन उसके कब्जे से महरूम नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072—75 किता 02 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2023 उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन— विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन— क्रेता द्वितीय पक्ष, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072—75 किता 5, फोटो प्रति नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 500/— रूपया दिनांक 21.10.2023 विक्रय पत्र उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन— प्रथमपक्ष बहक भीमराज पुत्र तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली— द्वितीय पक्ष, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072—75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0, 671 रकबा 0.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी ज्ञानो पत्नि धर्मे हि0 1/16, जनक पुत्र धर्मे हि0 1/16, धनसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/16, नवलसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/16, नवाव पुत्र करण हि0 1/28, पुखराज पुत्र करण हि0 1/28, बनैसिंह पुत्र करण हि0 1/28, मुकेश पुत्र धर्मे हि0 1/16, मुंशी पुत्र करण हि0 1/28, महाराजसिंह पुत्र करण हि0 1/28, रत्तीराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/16, रामेश्वर पुत्र करण हि0 1/28, रामसिंह पुत्र धर्मे हि0 1/16, विजयराम पुत्र करण हि0 1/28, स्वरूप पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4, हंसराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/16 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में सायलान हि0 1/7 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072—75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0.23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654 रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 3.85 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी ज्ञानो पत्नि धर्मे हि0 1/16, जनक पुत्र धर्मे हि0 1/16, धनसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, नवलसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, नवाव पुत्र करण हि0 1/28, पुखराज पुत्र करण हि0 1/28, बनैसिंह पुत्र करण हि0 1/224, भगवानसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, मुकेश पुत्र धर्मे हि0 1/16, मुंशी पुत्र करण हि0 1/28, महाराजसिंह पुत्र करण हि0 1/28, रेखसिंह पुत्र बनैसिंह 1/32, रत्तीराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, रामेश्वर पुत्र करण हि0 1/28, रामसिंह पुत्र धर्मे हि0 1/16, विजयराम पुत्र करण हि0 1/28, स्वरूप पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4, हंसराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/20 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में सायलान हि0 1/7 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं।

गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2023 उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– क्रेता द्वितीय पक्ष के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0.23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654 रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0, 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम आलावाडा में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग की भूमि का बेचान किया गया तथा मौके पर कब्जा क्रेता द्वितीय पक्ष को संभलाना अंकित किया है। श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती, गैरसायल सं01 की पत्नि तथा गैरसायल सं0 2 ता 4 की माता है।

उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0.23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654 रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0, 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन हिस्सा 1/4 के स्थान पर श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन के नाम तब्दील हो चुकी है। जो गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072–75 के अवलोकन से स्पष्ट है।

फोटो प्रति नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 500/–रूपया दिनांक 21.10.2023 विक्रय पत्र उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– प्रथमपक्ष बहक भीमराज पुत्र तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली– द्वितीय पक्ष के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम आलावाडा में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग की भूमि का बेचान किया गया तथा मौके पर कब्जा केता द्वितीय पक्ष को संभलाना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0, वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन में सायलान हि0 1/7 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं01 की पत्नि एवं गैरसायल सं0 2 ता 4 की माता श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन हिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार हैं, जिनमें प्रार्थना पत्र में सायलान ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है तथा खसरा नम्बर 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0.23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654 रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0. 16 है0, 664 रकबा 0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 3.85 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन में सायलान हि0 1/7 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं01 की पत्नि एवं गैरसायल सं0 2 ता 4 की माता श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन हिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार हैं, जिनमें प्रार्थना पत्र में सायलान ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया हैं। सायलान ने उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर तहसीलदार हिण्डौन को रिसीवर नियुक्त कराने का निवेदन किया है। जबकि उक्त विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदारों को सायलान ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने के कारण प्रकरण में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुख्स आरिज होने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। सायलान ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है जबकि सायलान के द्वारा मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। सायलान ने ऐसा कोई कानूनी बिन्दू अंकित नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् पक्षकारों के मध्य झगडा फिसाद होने अथवा जन–धन की हानि होने की सम्भावना हो। सायलान के द्वारा रिसीवरी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसके प्रत्येक पेज पर भी सायलान के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के अन्तिम पेज पर मात्र सायल महाराजसिंह के हस्ताक्षर है, शेष तीन सायलान के हस्ताक्षर नहीं हैं और संलग्न शपथ पत्र भी प्रमाणित नहीं है। सीपीसी नियमों के तहत प्रार्थना पत्र रिसीवरी के प्रत्येक पेज पर सायलान के हस्ताक्षर होना कानूनन आवश्यक है। इस बिना पर भी सायलान का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0, 671 रकबा 0.18 है0, 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0. 23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654 रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/10/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली